अग्रणी होम्स की 85 डिसमिल जमीन 16 को होगी नीलाम

ग्राहकों को लौटाए जाएंगे पैसे, पटना के धवलपुरा में है जमीन

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : ग्राहकों से पैसे लेकर घर-फ्लैट न देने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बिहार रेरा ऐसे डिफाल्टर बिल्डरों की संपत्ति जब्त कर उसे नीलाम करेगा और उससे मिली राशि ग्राहकों को लौटाई जाएगी। इसकी शुरुआत अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की जब्त 85.6 डिसमिल भूमि की नीलामी 16 दिसंबर को की जाएगी। यह जमीन **पटना के धवलपुरा क्षेत्र में स्थित है। यह नीलामी ई-प्रोक के माध्यम से की जाएगी, जिसके तहत इच्छुक बोलीदाता आनलाइन जब्त ज़मीन की बोली लगायेंगे। भूमि के लिए न्यूनतम बोली मूल्य पांच करोड़ सत्रह लाख इक्यावन हजार आठ सौ रुपये तय किया गया है। यह पहली बार है जब रियल एस्टेट (विनियमन और विकास)** अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद राज्य में किसी डिफाल्टर बिल्डर की भूमि की नीलामी की जा रही है। बिहार रेरा ने ग्राहकों को पैसा न लौटाने पर पिछले साल अप्रैल में अग्रणी होम्स की इस भूमि को जब्त किया था। नीलामी की राशि का वितरण विभिन्न समय पर अग्रणी होम्स के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने वाले पीड़ित आवंटियों के बीच किया जाएगा।

5.17 करोड़ रुपये रखी गई है न्यूनतम बोली, पहली बार नीलाम हो रही डिफाल्टर बिल्डर की जमीन

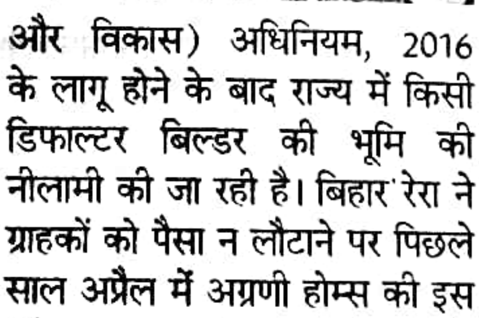

नीलामी राशि वितरण के लिए बनाई गई एसओपी : बिहार रेरा ने पहले ही अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित परियोजनाओं के शिकायतकर्ताओं के बीच नीलामी राशि के वितरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर ली है। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत वैसे घर खरीदार, जिन्होंने प्राधिकरण से वाद दायर किया था, वह लाभान्वित होंगे। शिकायत मामलों में रिफंड के आदेश पारित किए गए थे। इसके बाद प्रमोटर द्वारा राशि नहीं लौटाए जाने पर यह मामला प्रमोटर से राशि की वसूली के लिए लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत पटना जिला प्रशासन को सौंप दिया गया।